

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2016/ज्येष्ठ 25, 1938

No. 413]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2016/ JYAISTHA 25, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2016.

सा.का.नि. 601(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट के लिए न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरीयता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 को अनुमोदन करता है तथा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाया गया है।

2. उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के कार्यालयीन राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

अनुसूची

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट

चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरीयता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 (1963 का 38) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी मंडल चेन्नै पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में आगे का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1) लघु शीर्ष और प्रारंभ :-

- (i) इन विनियमों को “चेन्नै पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016” कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2) चेन्नै पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में, अनुसूची में, चिकित्सा विभाग में.-

- (i) क्रम संख्या- 4 में, वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद के लिए, कॉलम संख्या-8 के अंतर्गत वाले प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

- “i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम बी बी एस डिग्री।
- ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री (पी जी) या पी.जी. चिकित्सा डिप्लोमा।
- iii) प्रख्यात अस्पताल में, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में 12 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में अनुभव।”
- (ii) क्र सं 5 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए कॉलम 8 के तहत प्रावधानों को निम्नलिखित अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

- “(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस डिग्री
- (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (पी जी) चिकित्सा डिग्री या विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा।
- (iii) प्रख्यात अस्पताल में, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में 16 वर्ष तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में 18 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में अनुभव।”

[फा. सं. पीआर 12012/5/2011-पीई- I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :-

- (i) मूल विनियम: - दिनांक 7 जनवरी 2009, जीएसआर सं.17(अ) में भारत के राजपत्र में प्रकाशित चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008

- (ii) पो.प.मं. अधिसूचना सा.का.नि. सं. 834(अ) दि. 22 नवंबर 2011, में पहले संशोधित विनियम।
- (iii) पो.प.मं. अधिसूचना दिनांक 25 सितंबर 2013, सा.का.नि. सं. 674(अ)
- (iv) पो.प.मं. अधिसूचना दिनांक 13 जून 2015, सा.का.नि. सं. 504(अ)
- (v) पो.प.मं. अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त 2015, सा.का.नि. सं. 631(अ)
- (vi) पो.प.मं. अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2016, सा.का.नि. सं. 36(अ)

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2016

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016, made by the Board of Trustees for the Chennai Port Trust and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

CHENNAI PORT TRUST

Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Chennai Port Trust hereby makes the following regulations to further amend the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, namely:-

1. Short Title and Commencement:-

(i) These Regulations may be called the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, in the schedule containing Recruitment Rules for Class-I posts in Medical Department.-

(i) for the post of Senior Dy. Chief Medical Officer at Sl.No.4, the provisions under Col.No.8 shall be substituted as under:-

“i) MBBS degree from a recognized University.

- ii) A Post Graduate (PG) Medical Degree or PG Medical Diploma in the specified speciality from a recognized University.
 - iii) Post qualification experience of 10 years in case of PG Degree holders and 12 years experience in case of PG Diploma holders in the relevant field of specialization in a reputed hospital”.
- (ii) for the post of Chief Medical Officer at Sl.No.5, the provisions under Col.No.8 shall be substituted as under:-
- “i) MBBS degree from a recognized University.
 - ii) A Post Graduate (PG) Medical Degree or PG Medical Diploma in the specified speciality from a recognized University.
 - iii) Post qualification experience of 16 years in case of PG Degree holders and 18 years experience in case of PG Diploma holders in the relevant field of specialization in a reputed hospital”.

[F. No.PR-12012/5/2011-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

- Foot Note:**
- (i) Principal Regulation – Chennai Port Trust Employees’ (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 published in the Gazette of India vide GSR No.17 (E) dated 7th January 2009
 - (ii) First amendment Regulations vide MoS notification GSR No. 834(E) dated the 22nd November, 2011.
 - (iii) MoS’s notification GSR No. 674(E), dated 25th September 2013.
 - (iv) MoS's notification GSR No. 504 (E), dated 13th June 2015
 - (v) MoS's notification GSR No. 631(E), dated 14th August 2015
 - (vi) MoS's notification GSR No.36 (E), dated 15th January 2016